न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 41/2025 बउनवानी महेन्द्र सिंह **बनाम** लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0 पुत्र श्री हीरालाल निवासी मिर्जापुर वार्ड नम्बर 6 अम्बेडकर धर्मशाला के सामने

GCMS No-2025/ 136

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
9.7.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 19.4.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *दिनांक 17.3.2025 ग्राम मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी के जाटव समाज मिर्जापुर द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर को दिये गये ज्ञापन व उस पर क्या कार्यवाही की गयी एवं दिनांक 29.3.2025 को महेन्द्र,राजेश जाटव वगै.द्वारा दिये गये ज्ञापन की नकल व उक्त ज्ञापन के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से मंगवायी गयी रिपोर्ट की प्रमाणित सूचना* " अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एफ.13(01)(49)सूकाअ/2025/746 दिनांक 19.6.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 19.04.2025 मे चाही गयी सूचना के संबंध मे प्रभारी अधिकारी सम्पर्क अनुभाग को जरिये पत्रांक 421–23 दिनांक 21.04.2025 से लिखा जाने पर प्रभारी अधिकारी सम्पर्क अनुभाग द्वारा उक्तानुसार वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर को उपलब्ध करवायी जाने पर लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 593 दिनांक 21.5.2025 से अपीलान्ट को वांछित सूचनाऐ उपलब्ध करवायी जा चुकी है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 19.4.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.08.29 17:12:45 IST Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner